पटना नगर निगम

आम सूचना प्रकाशन

पटना नगर निगम में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के क्षमतावर्द्धक घटक के तहत् सामुदायिक संगठनों के सशक्तिकरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के मार्गदर्शिका अनुसार कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर (COs) का नियोजन 11 माह के अनुबन्ध पर किया जाना है। सेवा संतोषप्रद होने पर अवधि में विस्तार किया जा सकेगा। उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्र कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा सहित दिनांक–19.07.2021 तक अपना आवेदन पटना नगर निगम कार्यालय में स्पीड पोस्ट अथव निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते है। हाथों हाथ आवेदन कार्यालय में जमा नहीं किये जायेगें। विस्तृत जानकारी पटना नगर निगम, BLOCK-C मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, चतुर्थ तल स्थित केन्द्र प्रायोजित योजना शाखा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं पटना नगर निगम के Website पर Notice Section में देखा जा सकता है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि– दिनांक –19.07.2021 अपराह्न 03:00 बजे तक।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान – योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की सूचना बाद में Bio-data में अंकित दुरभाष एवं E-mail पर दी जायेगी।

कार्यक्षेत्र :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत

कार्य की प्रकृति :– Field Work

कार्य की प्रवृत्ति :– DAY-NULM योजना से संबंधित सभी कार्य एवं नगर निगम द्वारा दिये जाने वाले कार्य।

चयन की प्रक्रिया :– Bio-data में अंकित शैक्षणिक योग्यता, कम्प्युटर योग्यता, अनुभव एवं जाति प्रमाण–पत्र व उपलब्ध कराये गये स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के जॉचोपरान्त तैयार मेधा सूची के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेधा सूची के आधार पर रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने मुल प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होंगे। तद्नुसार प्राप्त अंकों व आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए मेधा सूची में वरीयता के आधार पर संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

पात्रता की शर्ते :–

1. शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में कम से कम इण्टर (10+2) होना अनिवार्य है। (अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व–हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)
2. उम्मीदवारों के पास सामाजिक विकास पर समुदाय के साथ कार्य करने का कम–से– कम पॉच वर्षो का संबधित अनुभव होना चाहिये, तथा जीविका/NRLM/NULM या SPUR कार्यक्रम के अन्तर्गत CMM/ क्षेत्रीय समन्वयक/सामुदायिक मोविलाइजर्स/ सामुदायिक संगठक/ सामुदायिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कम–से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। (अभिप्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
3. सामुदायिक संगठन को Ms-Office, Ms-Excel, Ms-Power Point में दक्षता आवश्यक है। (संबधित संस्थान का अभिप्रमाणित दक्षता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।

4. पद की संख्या–02 (दो)
5. कोटि– 01 पद अनारक्षित (सामान्य) एवं 01 पद आरक्षित (पिछड़ा वर्ग) प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. मानदेय भत्ता– मानदेय की अधिकतम समेकित पारिश्रमिकी 15,000 / – रू0 प्रतिमाह।
7. नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 11 माह तक मान्य होगा। सेवा कार्य संतोषप्रद रहने पर पुनः 11 माह तक कार्य अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
8. नियुक्ति दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) में की जायेगी।
9. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित, (DAY-NULM) के नोडल पदाधिकारी एवं नगर मिशन प्रबंधक के मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश में कार्यो का निष्पादन करना होगा।
10. चयनित (COs) पटना नगर निकाय एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के कर्मी के रूप में रूप में नियुक्त नहीं होंगे। अतः चयनित (COs) नियमित सेवा का दावा नहीं कर सकते है।
11. सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी।
12. नियोजन पत्र में उल्लेखित कार्यावधि के समाप्ति के पश्चात् CO की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13. (DAY-NULM) नगर मिशन प्रबंधक के निर्देश में चयनित CO को कार्य करना होगा, तथा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना होगा।
14. चयनित CO की सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नगर मिशन प्रबंधक के अनुशंसा पर बिना कोई पूर्व सूचना के कार्य से मुक्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. आवेदन पत्र नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, द्वितीय मंजिल 'सी'ब्लॉक, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना–800001 के पते पर निबंधित डाक से भेजेंगे। लिफाफे के उपर DAY NULM के तहत् पद सामुदायिक संगठक "CO के लिये आवेदन पत्र " लिखें।

<u>नोट</u> :– बिना कोई कारण बताये आम सूचना प्रकाशन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह0 / –
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

प्रतिलिपि :– श्री मनीष रौशन, प्रोग्रामार आई0टी0, पटना नगर निगम को निदेशित किया जाता है कि आम सूचना को निगम बेवसाईट के नोटिस बोर्ड में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

28/6/2021

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

पत्रांक–F/3/2021-SEC_4-UDHD DEPT-I/7712/2021 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना,दिनांक 18.06.2021

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के CB&T घटक अंतर्गत निकाय स्तर पर उपलब्ध कराये गये सामुदायिक संगठक (COs) के चयन से संबंधित संशोधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–969 दिनांक–13.04.2018.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्यूक्त विषय के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के CB&T घटक अंतर्गत निकाय स्तर पर उपलब्ध कराये गये सामुदायिक संगठक (COs) के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।

2. विदित हो कि दिनांक–23 मार्च, 2021 को आयोजित कार्यकारिणी कमिटी (Executive Committee) के बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार DAY-NULM योजना के CB&T घटक अंतर्गत निकाय स्तर पर उपलब्ध कराये गये सामुदायिक संगठक (COs) के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है।

3. उपरोक्त वर्णित के आलोक में सामुदायिक संगठक (COs) के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित मापदण्ड के अनुसार सामुदायिक संगठक (COs) का शीघ्र चयन कर सूची विभाग को उपलब्ध कराते हुए उनकी सेवा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

अनु0– 1. मार्गदर्शिका हिन्दी प्रति–कुल पेज–11

विश्वासभाजन,

18/06/21

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामुदायिक संगठक (CO) की सेवा लेने सम्बंधित संशोधित दिशा- निदेश|

....

पृष्ठभूमिः-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत SM&ID घटक के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों के गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है| कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान करने के लिए निकाय स्तर पर सामुदायिक संगठक (Community Organiser) रखे जाने का प्रावधान है। सामुदायिक संगठक का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह का क्षमता निर्माण, बैंक खाता खोलना, चक्रचालित निधि के लिए सहयोग करना, वित्तीय समावेशन और सामाजिक जुडाव के घटक और दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास के तहत अन्य लिंकेज को लागू करने और प्रबंधित करना है| सामुदायिक संगठक यह भी आश्वस्त करेंगे कि स्वयं सहायता समूह का गठन एवं उनका विकास NULM के सभी लाभों को पहुचाने में सहायता करेंगे| मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। सामुदायिक संगठक के लिए चुने गए व्यक्ति शहर के स्तर पर कम से कम 3000 शहरी गरीब परिवारों को आच्छादित करेगा|

1. **सामुदायिक संगठक की इकाई:-**

   सामुदायिक संगठक नगर मिशन प्रबंध इकाई (CMMU) का हिस्सा होगा| सामुदायिक संगठक सम्बंधित नगर निकाय के साथ अनुबंध करेगा। निकाय द्वारा ही समय-समय पर उपलब्धि मूल्यांकन, सेवा विस्तार एवं मानदेय भुगतान आदि पर निर्णय लिया जायेगा|

2. **सामुदायिक संगठक के अधिप्राप्ति की प्रक्रिया:-**

   निकाय में शहरी गरीब परिवारों की संख्या के आधार पर सामुदायिक संगठक के अपेक्षित संख्या का निर्णय लिया जायेगा| यद्दपि मार्गदर्शिका के अनुसार 3000 परिवारों के लिए एक सामुदायिक संगठक का प्रावधान है, इस संबंध में मिशन निदेशालय द्वारा योजना अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधन के आधार पर प्रत्येक निकाय में तैनात किए जाने वाले सामुदायिक संगठकों की संख्या निर्धारित की जाएगी| COs के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी:-

   1. नगर निकाय सामुदायिक संगठकों के चयन से सम्बंधित सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करेंगे|
   2. **निकाय द्वारा एक तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और DAY-NULM के नगर मिशन प्रबंधक (SD&I) होंगे| जिन नगर निकाय में नगर प्रबंधक नहीं होंगे उस नगर निकाय में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी नगर मिशन प्रबंधक (Skills and Livelihoods) को समिति के सदस्य के रूप में नामित करेंगे|**
   3. **नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी पात्रता मापदंडों के आधार पर आवेदनकर्ता द्वारा समर्पित बायो-डाटा अनुभव प्रमाण पत्र , शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों के जाँच के उपरांत राज्य स्तर पर DAY–NULM योजना की राज्य प्रबंध इकाई (SMMU-NULM) को संवीक्षा हेतु उपलब्ध करायेगा|**
   4. **राज्य स्तर पर विभाग के द्वारा DAY–NULM के संचालन हेतु चयनित राज्य प्रबंध इकाई (SMMU-NULM) के टीम लीडर/राज्य परियोजना समन्वयक एवं राज्य मिशन प्रबंधक (SD&I) के द्वारा नगर निकाय से प्राप्त उम्मीदवारों के बायो-डाटा तथा अन्य दस्तावेजों की जाँच की जाएगी तत्पश्चात SMMU के द्वारा शार्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों का ही नगर निकाय के द्वारा लिखित परीक्षा तथा कंप्यूटर साक्षरता से सम्बंधित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जायेगा|**

5. साक्षात्कार के दौरान प्रत्येक आवेदक को उसकी शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक कार्यों में अनुभव, कंप्यूटर आदि के संचालन एवं Communication क्षमता का आंकलन संलग्न प्रपत्र-(क) के अनुसार किया जायेगा|
6. समिति की मंजूरी के साथ, मेरिट सूची तैयार की जाएगी और निकाय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी|
7. Merit List में ऊपर के क्रम में चिन्हित सफल आवेदकों में से आवश्यकतानुसार संख्या में COs का चयन किया जायेगा|
8. नगर निकाय सफल उम्मीदवारों को औपचारिक पत्र जारी करेगा|

3. पात्रता की शर्तें:-

1. शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में कम से कम इंटर (10+2) होगा|
2. उम्मीदवारों के पास सामाजिक विकास पर समुदाय के साथ कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का संबंधित अनुभव होना चाहिए तथा एन0यू0एल0एम0/जीविका/एन0आर0एल0एम0 या SPUR जैसे कार्यक्रमों में क्षेत्र समन्यवक/CMM/ सामुदायिक मोबिलाइजर्स/सामुदायिक संगठक/सामुदायिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए|
3. सामुदायिक संगठक हेतु आवेदनकर्ता का एम0एस0 ऑफिस (Word, Excel, Power Point) में दक्षता आवश्यक है|

4. भूमिका और जिम्मेदारी:-
सामुदायिक संगठक

1. नगर निकाय के माध्यम से संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) और अन्य सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं के सभी घटकों के लिए सामुदायिक सहायता करना और लाभार्थियों के साथ बैठक करना|
2. अपने सम्बंधित क्षेत्रों में आवधिक बैठकों/क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करना|
3. सम्बंधित नगर निकायों में चल रहे कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करना|
4. SUSV के तहत सिटी वेंडिंग प्लानों के विस्तृत कार्यान्वयन की तैयारी एवं कार्यान्वित नगर वेंडिंग कमिटी, मार्केट समितियों को सहायता प्रदान करना|
5. स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत सदस्यों के बीच सूक्ष्म उद्यम और स्वरोजगार गतिविधियों को बढावा देने के लिए बैंक, जिला उद्योग विभाग, RSETI और अन्य सम्बंधित संगठनों के साथ समन्वय बनाना|
6. अपने कार्य क्षेत्र में शहरी गरीबों का खुद या संसाधन संगठन के द्वारा सामाजिक जुटान (SocialMobilization) सुनिश्चित करना|
7. स्वयं सहायता समूह और क्षेत्र स्तरीय संगठन के गठन करने में सामुदाय की सहायता करना|
8. अपने कार्य क्षेत्र में DAY-NULM से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों/पहलुओं के कार्यान्वयन की सुबिधा उपलब्ध कराना|
9. समुदाय आधारित (संरचनात्मक, परिसम्पतियां, सामाजिक पूंजी, इत्यादि) सम्बंधित डाटा एकत्र करना एवं समय-समय पर उसका अद्यतन करना|
10. स्वयं सहायता समूह एवं फेडरेशन के साथ दिव्यांग के स्वयं सहायता समूह को सहायता प्रदान करना|
11. स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज करने में सहायता प्रदान करना|
12. अभिसरण के लिए सरकारी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना|
13. NULM से सम्बंधित सर्वेक्षणों में सहायता करना|
14. शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय के प्रबंधन में नगर निकाय और क्षेत्र स्तरीय संगठनों की सहायता करना|
15. सामुदायिक संगठक (COs) एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) के द्वारा किये गए कार्यों का निगरानी एवं अनुश्रवण करना|

16. पथ विक्रेताओं के लिए सर्वेक्षण कार्यों, आई0डी0 कार्ड के वितरण और अन्य सामाजिक लाभों के अन्य वितरण की सुबिधा प्रदान करना|
17. सामुदायिक अनुबंध, सामुदायिक परिसम्पतियों के O&M जैसे विकास कार्यों का समर्थन एवं कार्यान्वयन करना|
18. सम्बंधित कस्बों में विभिन्न IEC गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी करना|
19. अच्छे प्रथाओं के साथ कार्य करना एवं दस्तावेजीकरण करना|
20. आवश्यकतानुसार समुदाय स्तर पर बैठकों एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और भाग लेना|
21. स-समय मासिक रिपोर्ट जमा करना|
22. सम्बंधित नगर पालिका/कार्यकारी अधिकारी/ नगर मिशन प्रबंधक द्वारा समय-समय पर नियत किये गए अन्य कार्य को क्रियान्वित करना|

5. सामुदायिक संगठक के पद के लिए गुणवत्ता मापदण्ड:-

उपर्युक्त भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर सामुदायिक संगठक स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय संघ एवं नगर स्तरीय संघ की बैठकों में भाग लेगा, बैठक में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने में मदद करेगा और लेखांकन पुस्तिकाओं को अद्यतन करने में सहायता प्रदान करेगा | वह स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म योजना हेतु रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा और बैंक खाता खोलने, क्रेडिट लिंकेज करवाने, तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा | वह स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय संघ और नगर स्तरीय संघ के सदस्यों को क्षमतावर्धन करेगा |

6. सामुदायिक संगठक के चयन की प्रक्रिया:-

शहर में शहरी गरीब परिवारों की संख्या के आधार पर अपेक्षित संख्याओं का निर्णय लिया जायेगा| 3000 शहरी गरीब परिवारों के प्रत्येक समूह के लिए एक सामुदायिक संगठक की सेवा सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ली जाएगी| COs के चयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:-

1. **नगर निकाय द्वारा COs की आवश्यकता के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन हेतु तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन करेगा, जिसके सदस्य नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और DAY-NULM के नगर मिशन प्रबंधक (SD&I) होंगे| जिन नगर निकाय में नगर प्रबंधक नहीं होंगे उस नगर निकाय में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी नगर मिशन प्रबंधक (Skills and Livelihoods) को समिति के सदस्य के रूप में नामित करेंगे|**
2. उम्मीदवारों के द्वारा सम्बंधित संगठन से जारी अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा|
3. **नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी पात्रता मापदंडों के आधार पर बायो-डाटा की जाँच के बाद, उमीदवारों से प्राप्त बायो-डाटा समस्त अनुभव प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज को राज्य स्तर पर राज्य प्रबंध इकाई (SMMU-NULM) को संवीक्षा हेतु उपलब्ध करायेगा|**
4. **राज्य स्तर से पात्र उम्मीदवारों की सूची के अनुमोदन के बाद, SMMU के द्वारा शार्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों का ही नगर निकाय के द्वारा लिखित परीक्षा तथा कंप्यूटर साक्षरता से सम्बंधित परीक्षा एवं साक्षात्कार नगर निकाय स्तर पर एक निश्चित तिथि पर आयोजित किया जाएगा|**
5. प्रत्येक उम्मीदवारों का विभिन्न मापदण्ड जैसे- ज्ञान, अनुभव, और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा|
6. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा|
7. सामुदायिक संगठकों का चयन आवश्यकता के अनुसार सफल उम्मीदवारों की सूची से अवरोही क्रम में चुना जाएगा|
8. **चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची सशक्त स्थायी समिति या किसी भी नगर निकाय स्तरीय जनप्रतिनिधि से अनुमोदित नहीं कराया जाएगा|**
9. चयन समिति के अनुमोदन के बाद सूची सार्वजनिक नोटिस के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी|

10. नगर निकाय के द्वारा सफल उम्मीदवारों को औपचारिक पत्र जारी किया जायेगा|

11. **मानदेय एवं भत्ता:-**
खुले बाजार में उपर्युक्त अनुभव के साथ अच्छी प्रतिमा को आकर्षित करने के लिए अधिकतम समेकित पारिश्रमिक 15,000 रु0 प्रतिमाह सामुदायिक संगठक को दिया जायेगा जो निर्धारित योग्यता और अनुभव के मापदंडों को पूरा करता हो| पारिश्रमिक का भुगतान विभाग द्वारा जारी की गयी नीतियों/अधिसूचनाओं/या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किये गए संशोधनों के अनुसार होगा|

12. **मांग पत्र की तैयारी, स्वीकृति और मानदेय का भुगतान:-**
नगर मिशन प्रबंधक के मासिक बैठक में मानदेय विपत्र पर चर्चा की जाएगी| नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी और नगर स्तरीय संगठन, यदि संबंधित नगर निकाय में गठित है, द्वारा समय-समय पर उनके कार्यों का समीक्षा एवं मूल्यांकन करेंगे| अनुमोदन के बाद सामुदायिक संगठन के खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा|

13. **मांग पत्र की तैयारी:-**
नगर मिशन प्रबंधक निम्नलिखित प्रारूप में एक वर्ष के लिए सामुदायिक संगठक के मानदेय के लिए मांग पत्र तैयार करेगा और सम्बंधित नगर निकाय में जमा करेगा|

सामुदायिक संगठक के लिए मानदेय का मांग पत्र एक-वर्ष की अवधि के लिए

1. सामुदायिक संगठक का नाम:-
2. नगर स्तरीय संगठक का नाम संलग्न:-
3. स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो सामुदायिक संगठक के द्वारा देखी जा रही है:-
4. मांग पत्र की अवधि कब..............................से.......................(महीनों) तक
5. प्रति माह औसत मानदेय:-
6. महीनों में मांग पत्र अवधि..महीने
7. कुल राशि रु0...
8. शब्दों में राशि...
9. स्टाम्प के साथ हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठक के मानदेय का संकलन

सामुदायिक संगठक का नाम:...

क्र0 सं0	सामुदायिक संगठक का नाम	प्रति माह मानदेय (रु० में)	मानदेय की अवधि		स्थानांतरित होने वाली कुल राशि (रु०)
			कब से	कब तक	

3. कुल राशि रु0:..

4. शब्दों में कुल राशि:..

दिनांक:

नगर मिशन प्रबन्धक के हस्ताक्षर

नाम:

स्थान:

14. **समीक्षा और बर्खास्तगी:-**

DAY-NULM के अंतर्गत कार्यरत नगर मिशन प्रबंधक एवं शहर स्तरीय संघ/निकाय के माध्यम से संयुक्त रूप से निम्न मापदंडों पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा-

- सामुदायिक संगठकों की निर्धारित मासिक कार्य और उपलब्धि के आधार पर उनका मासिक मूल्यांकन किया जायेगा|
- यदि किसी सामुदायिक संगठक द्वारा न्यूनतम कार्य की पूर्ति नहीं की जा रही है तो सम्बंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर मिशन प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त निर्देश देकर सुधार किया जा सकेगा|
- यदि लगातार दो माह में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हो पाती है तो सम्बंधित नगर निकाय के पदाधिकारी प्रगति लाने हेतु चेतावनी देगें|
- यदि चेतावनी के बाद भी लगातार दो माह में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हो पाती है तो सम्बंधित नगर निकाय द्वारा किसी अन्य प्रशिक्षित सामुदायिक संगठक को उसके स्थान पर चयन किया जायेगा|
- यदि कोई सामुदायिक संगठक द्वारा अपनी सेवा जारी नहीं चाहता है तो इस सम्बन्ध में सम्बंधित नगर निकाय को लिखित आवेदन जमा करेगा|

चयन प्रक्रिया हेतु प्रपत्र (क)

अंक तालिका

उपार्जित अंक								
क्र0 सं0	**नाम**	**शैक्षणिक योग्यता**	**सामाजिक कार्य करने का अनुभव**	**कम्युनिकेशन**	**कंप्यूटर का अनुभव**	**पूर्व में सामान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव**	**कुल अंक**	**टिप्पणी**

क्र0 सं0	**अहर्ता**	**मानदंड**	**अंक**
1.	**शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम अंक-10**	10+2	5
		ग्रेजुएट	8
		पोस्ट ग्रेजुएट	10
		कुल	10 अंक
2.	**सामाजिक कार्य करने का अनुभव (अधिकतम अंक-10) (आवेदक द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र के आधार पर)**	5 वर्ष	5
		5-7 वर्ष	8
		8-10 वर्ष	10
		कुल	**10 अंक**
3.	**कंप्यूटर का अनुभव (अधिकतम अंक-10) (प्रमाण पत्र के आधार पर)**	अनऔपचारिक	0
		Crtificate Course	5
		DCA, BCA, MCA	10
		कुल	**10 अंक**
4.	**कम्युनिकेशन (अधिकतम अंक-10)**	**साक्षात्कार के दौरान भाषा, प्रस्तुति एवं प्रवाह आदि के आधार पर साक्षात्कारकर्ता के विवेक पर**	10
5.	**पूर्व में समान कार्यक्रम के अंतर्गत CO या CF के CF के रूप में कार्य करने का अनुभव (अंक-10)**	1 वर्ष या अधिक	10
	कुल अंक-50		

चयन प्रक्रिया हेतु प्रपत्र (ख)

सामुदायिक संगठक और नगर निकाय का अनुबंध प्रपत्र

................नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत

(सामान्य शाखा)

ज्ञापांक................../सा0 दिनांक....................		फोन नं0.................. फैक्स नं0................. ई-मेल :

प्रेषक,
....
....

सेवा में,
नाम.......................पिता/पति का नाम....................पता.......................................
....

विषय :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के क्षमतावर्धन घटक के अंतर्गत सामुदायिक संगठक के पद पर कार्य करने हेतु कार्यादेश

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के क्षमतावर्धन घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु विभागीय निर्देशानुसार चयनित सामुदायिक संगठकों के माध्यम से DAY-NULM का कार्य कराने हेतु निर्णय लिया गया है| विभागीय निर्देश के अनुपालन में नियमानुसार आपका चयन किया गया है| आपकी सेवा एवं मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य होगा|

(क) Scope of Work: आपकी सेवा नगर निकाय स्तर पर कम से कम तीन हजार शहरी गरीब परिवारों को DAY-NULM से सम्बंधित कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है| आप की सेवा पूर्णतः अनुबंध आधारित है| प्रारम्भ में आपकी सेवा नियुक्ति की तिथि से 11 माह के लिए ली जायेगी| कार्य संतोषजनक होने पर पुनः आपकी सेवा अवधि का विस्तार 11 माह के लिये किया जायेगा| रिपोर्टिंग पदाधिकारी सम्बंधित नगर मिशन प्रबंधक या निकाय दारा अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे|

(ख) नियुक्ति की शर्ते

1. आपका नियोजन नियुक्ति के तिथि से 11 माह तक मान्य होगा| आपका कार्य सेवा संतोषप्रद पर पुनः 11 माह तक कार्य अवधि का विस्तार किया जा सकता है|
2. आपकी नियुक्ति दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अंतर्गत अस्थाई तौर पर की गयी है|
3. आपको अद्योहस्ताक्षारित द्वारा निर्देशित एवं DAY-NULM के अंतर्गत कार्य कर रहे नगर मिशन प्रबंधक, समय समय पर निर्गत मार्गदर्शिका एवं विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यों का निष्पादन करना होगा|
4. आप...........................नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं है, अतः आप नियमित सेवा का दावा नहीं कर सकते है|
5. आपकी सेवा पूर्णत: अस्थायी है|
6. नियोजन पत्र में उल्लिखित कार्यावधि के समाप्ति के पश्चात् आपकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी|
7. DAY-NULM कर्मी नगर मिशन प्रबंधक के निर्देश में आपको कार्य करना होगा, तथा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना होगा|
8. आपकी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर निकाय के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी तथा नगर मिशन प्रबंधक के अनुशंसा पर बिना कोई पूर्व सूचना के आपकों सामुदायिक संगठक के कार्य से मुक्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षारित के पास सुरक्षित रहेगा|

(ग) कार्य एवं उत्तरदायित्व:

9. क्षेत्रान्तर्गत शहरी गरीबों में सामाजिक जागरूकता को सुनिश्चित करना|
10. स्वयं सहायता समूह/संघ के गठन करना तथा गठन हेतु प्रक्रिया में सहायता करना|
11. समुदाय आधारित (संरचनात्मक, परिसम्पतियां, सामाजिक, पूंजी, इत्यादि) सम्बंधित डाटा एकत्र करना|
12. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक से जोड़ने में सहायता करना|
13. सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/ स्कीमों से लाभान्वित करवाना|
14. समुदाय आधारित सफल प्रयोगों का दस्तावेजीकरण करना|
15. समुदाय आधारित संस्थाओं (SHGs, ALOs, CLF) की बैठक में भाग लेना एवं उसका क्षमतावर्धन करना|
16. सी0आर0पी0 द्वारा किये कार्यों का अनुश्रवण एवं सहयोग करना|
17. समय-समय पर आयोजित विभागीय बैठकों में भाग लेना|
18. DAY-NULM से सम्बंधित विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करना|
19. अन्य कार्य, जो नगर निकाय द्वारा सौपे गए हो, क्रियान्वित करना|

(घ) मानदेय एवं मानदेय का भुगतान:

1. सामुदायिक संगठक द्वारा Time Shee, मासिक कार्ययोजना एवं मासिक प्रतिवेदन सम्ब्बंधित नगर निकाय में जमा किया जायेगा|
2. नगर मिशन प्रबंधक द्वारा Time Sheet, मासिक कार्ययोजना एवं मासिक प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जायेगा, तत्पश्चात सम्बंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा|
3. सामुदायिक संगठक द्वारा विहित प्रपत्र में मानदेय भुगतान सम्बंधित प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा करना होगा|
4. सामुदायिक संगठक का मानदेय भुगतान के लिए नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है|
5. मानदेय एवं अन्य भत्ते का भुगतान नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् PFMS द्वारा सामुदायिक संगठक के खाते में कर दिया जायेगा|
6. सामुदायिक संगठक का मानदेय एवं भत्ते DAY-NULM के क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building Training) घटक से देय होगा|
7. राशि का भुगतान सम्बंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा, जो सामुदायिक संगठक की सेवा ले रहे है|
8. सामुदायिक संगठक वाहय गमन की अवस्था में विभागीय कार्य अथवा प्रशिक्षण हेतु यात्रा भत्ता अलग से प्राप्त करने का पात्र होगा|

अतः उपरोक्त शर्तों पर पत्र प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर.....................नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत में योगदान देकर कार्य प्रारम्भ करें, अन्यथा आपका नियोजन रद्द समझा जायेगा|

नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत...............................